(60)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निग– 2797/I/16

महिला फूलाबाई पत्नि बहोरा अहिरवार
निवासी ग्राम पिपरा तह. खरगापुर जिला टीकमगढ ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. हरदास तनय लक्ष्मन छीपा
   निवासी कडराई तह. खरगापुर जिला टीकमगढ
2. म.प्र.शासन ......अनावेदकगण

श्री नितेन्द्र सिंघई अभि० द्वारा आज दि. 19-8-16 को प्रस्तुत

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 19-8-16

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अपील/15–16 पारित आदेश दिनांक 28/7/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चक्रमाधौसिह स्थित भूमि खसरा क्र 98व, 100अ, 100व, 100स कुल रकवा 1.991 हे भूमि मे से 1/2 हिस्सा आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अनावेदक के भाई रामेश्वर छीपा तनय लक्ष्मण छीपा से निर्धारित प्रतिफल अदा कर क्रय कर मालकाना हक व कब्जा प्राप्त किया था तथा राजस्व अभिलेख मे उसके नाम पर नामांतरण स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा बिना किसी आधार के एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित कर विधि विपरीत कार्यवाही की जा रही है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(नितेन्द्र सिंघई एड. 94251-71223)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2797/A/16 जिला .....टीकमगढ.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-9-16	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क सुने। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ जिला टीकमगढ म0प्र0 के प्र.क्र. 02/अपील/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 28/07/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक का तर्क है कि ग्राम चक्रमाधौसिह स्थित भूमि खसरा क्र 98व, 100अ, 100व, 100स, कुल रकवा 1.991 हे भूमि में से 1/2 हिस्सा आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से रामेश्वर तनय लक्ष्मन छीपा जो कि अनावेदक का सगा भाई है से क्रय कर मालकाना हक व कब्जा प्राप्त किया था तथा विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम पर नामांतरण स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्व अनावेदक द्वारा बिना किसी आधार के एक समय अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत आदेश किया गया है जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि तथा ग्राम देरी की भूमि अनावेदक के पिता लक्ष्मण छीपा की भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि थी तथा लक्ष्मण छीपा के स्वर्गवास उपरांत समस्त भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान अनुसार उसके विधिक वारसान अर्थात् अनावेदक हरदास व उसके भाई रामेश्वर का बराबर 1/2 हक व हिस्सा था। तथा रामेश्वर छीपा द्वारा अपने हक व हिस्से की 1/2 भूमि आवेदक से निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर उसको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गयी है। उनका यह भी तर्क है कि राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधानिकता अथवा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्वत्व का निर्धारण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है केवल व्यवहार न्यायालय को ही उक्त क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उनका तर्क है कि राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण करने हेतु बाध्य है। 4— आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अनावेदक व उसके भाई रामेश्वर के मध्य आपसी सहमति के आधार पर नामांतरण पंजी क्र 70 आदेश दिनांक 17/3/1983 के अनुसार बंटवारा स्वीकृत किया गया था जिसके अनुसार प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक को हिस्से में प्राप्त हुई थी तथा ग्राम देरी स्थित भूमि खसरा क्र 2237/1 रामेश्वर छीपा को प्राप्त हुई थी परंतु बाद में दोनों भाई मे पुनः सहमति के आधार पर ग्राम देरी स्थित खसरा 2237/1 में अनावेदक का 1/2 हिस्सा तथा प्रश्नाधीन भूमि पर रामेश्वर का 1/2 स्वीकार किया गया जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ग्राम देरी का 1/2 हिस्सा हरबाई पत्नि अच्छेलाल कुशवाहा को विक्रय कर दिया तथा अनावेदक के भाई रामेश्वर छीपा द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर 1/2 हिस्सा आवेदक को विक्रय किया गया है जिसके आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया था। उनका तर्क है अनावेदक द्वारा जानबूझकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में विक्रेता अर्थात् अपने भाई रामेश्वर छीपा को पक्षकार नहीं बनाया गया जो कि पक्षकारों का असंयोजन है। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में पांचशाला खसरा की प्रति के आवलोकन से यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि एंव ग्राम देरी स्थित अन्य भूमि लक्ष्मण तनय अयोध्या छीपा के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि थी तथा लक्ष्मण छीपा के स्वंर्गवास उपरांत उसकी समस्त भूमियों पर उसके वारसान अर्थात् अनावेदक हरदास एंव उसके भाई रामेश्वर छीपा का बराबर हक व हिस्सा था । आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण पंजी क्र 70 के आवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि	

R. 2797.ए/16 निगरानी

...ा तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनावेदक व उसके भाई के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा किया गया था जिसमें प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक को तथा ग्राम देरी स्थित भूमि खसरा क्र 2237/1 रामेश्वर छीपा को प्राप्त हुई थी। प्रकरण में प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26/2/2007 के आवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक हरदास द्वारा ग्राम देरी स्थित खसरा क्र 2237/1 में से 1/2 हिस्सा महिला हरबाई को विक्रय किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ के समक्ष प्रस्तुत अपील में विक्रेता रामेश्वर छीपा को पक्षकार नहीं बनाया गया जो निश्चित् तौर पर पक्षकारों का असंयोजन है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ जिला टीकमगढ का आदेश दिनांक 28/7/16 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार खरगापुर को इस निम्न निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है 1. सर्वप्रथम इस तथ्य की जांच की जाये कि लक्ष्मण छीपा के स्वर्गवास उपरांत उसके स्वामित्व की समस्त भूमियों का बंटवारा अनावेदक हरदास एंव उसके भाई रामेश्वर छीपा के मध्य बंटवारा किस आदेश के माध्यम से हुआ था एंव नामांतरण पंजी क्र 70 में नायब तहसीलदार खरगापुर जो बंटवारा स्वीकृत किया था क्या वह वैधानिक था तथा बंटवारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार समान हक व हिस्से में हुआ था अथवा नहीं। 2. इस तथ्य की भी जांच की जाये कि अनावेदक द्वारा ग्राम देरी स्थित भूमि खसरा क्र 2237/1 में 1/2 हिस्सा प्राप्त कर जो महिला हरबाई को विक्रय किया गया है उसके रामेश्वर छीपा के हिस्से में कमी हुई है अथवा नहीं तथा यदि रामेश्वर के हिस्से में कमी हुई है तब क्या रामेश्वर प्रश्नाधीन भूमि पर 1/2 हिस्सा प्राप्त करने हेतु अधिकृत है।	

R. 2747 5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
	3. लक्ष्मण छीपा के स्वर्गवास उपरांत राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि एंव अन्य भूमियों पर उसके वारसान अनावेदक हरदास एंव रामेश्वर का नाम किसके आदेश से दर्ज किया गया तथा उसके पश्चात् रामेश्वर का नाम किसके आदेश से विलोपित किया गया तथा वर्तमान में पुनः किसके आदेश से जोडा गया है। 4. यदि लक्ष्मण छीपा के वारसान अनावेदक एंव रामेश्वर के मध्य समान बंटवारा नहीं किया गया था तब दोनों भाईयों द्वारा विक्रीत की गयी भूमि को छोडकर उनको पक्ष सर्मथन का पर्याप्त अवसर प्रदान कर संहिता की धारा 178 के प्रावधान अनुसार समान हक व हिस्सा में बंटवारा किए जाने की कार्यवाही की जावे। 5. प्रकरण में रामेश्वर छीपा को पक्षकार के रूप में समायोजित किया जाये तथा समस्त हितबद्व पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं का क्रमवार निराकरण कर मौके पर यथास्थिति रखते हुए गुणदोषों पर निराकरण किया जाये। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत कर प्रत्यावर्तित किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	